न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00155 (163/2017) 223 आरटीएक्ट

1. तरसेम सिंह
2. गुरमुख सिह

} पिसरान घुकरसिंह अकवाम जटसिख निवासीयान तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजेश कुमार दत्तक पुत्र स्व0 श्रीमती प्रेमवती पाण्डे पत्नी रूपशंकर जाति पाण्डे निवासी सूरसागर तालाब के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
2. कंचन पाण्डे पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण पाण्डे
3. रमादेवी पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण पाण्डे
4. गायत्री देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण पाण्डे
5. राजाराम पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण पाण्डे
6. इन्दूदेवी पत्नी स्व0 औमप्रकाश पाण्डे
7. श्री वत्स पुत्र स्व औमप्रकाश पाण्डे
8. विवेक पुत्र स्व0 औमप्रकाश पाण्डे

} अकवाम पाण्डे निवासीयान सूरतसागर तालाब के पास बीकानेर तहसील व जिला हनुमानगढ।

9. तहसील राजस्व टिब्बी।

–रेस्पेडेण्ट

10. जलन्धर सिंह पुत्र घुकर सिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश 24.04.2017 प्र सं0 332/2014
अनवान जलन्धर सिंह आदि बनाम राजेश कुमार आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

उपस्थितः–
श्री मनजिन्द्र सिह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः– 07.3.22

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 10 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्ग एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि चक 4 टी.एल.डब्ल्यू के खाता संख्या 18/129 के प. नं. 233/291 मु. नं. 41 किला नरं. 7, 8, 9, 14, 23 प. नं. 233/292 किला नं. 1, 2, 9, 14 कुल 19 किला प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा चक नं. 4 टी.एल.बल्यू. के ही खाता संख्या 92/86 के प. न. 233/293 किला नं. 15 प्रतिवादी संख्या 1 की स्व0 माता प्रेमवती पाण्डे पत्नी रूपशंकर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण ने स्व0 प्रेमवती द्वारा चक 4 टीएलडब्ल्यू के खाता 18/129 के पं. नं. 233/293 मु0 नं0 15 किला नं. 14 की भूमि वादीगण के पक्ष में इकरारनामा करना बताया साथ ही इस भूमि का कब्जा काश्त भी होना बताया । राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना था मगर इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई जिससे राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम अंकित रह गया। वादीगण ने प्रतिकूल धारण भी परिपक्व होना बताते हुए प्रश्गनत भूमि पर वादीगण ने इकरारनामा में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित करने एवं खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग खाता कायम किये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वादी का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 8 एवं 10 के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी द्वारा भिजवाये गये परन्तु उनकी तरफ से कोई उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि प्रेमवती ने प्रश्नगत 2 किलों का बेचान दिनांक 06.06.1990 कर कर दिया था तथा उसी दिन कब्जा भी सौंप दिया था। तभी से अपीलाण्ट इस भूमि पर काबिज चले आ रहे है। पूर्व में ... सिह ने अपने जीवनकाल में श्रीमति प्रेमवती पाण्डे के घरेलू ... चक 4 टीएलडब्लयू क खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

संख्या 18/129 प. नं. 233/293 किला नं. 10 का इन्द्राज स्वयं अपने नाम से करवाकर प्रार्थीगण के पक्ष में निवेदन किया लेकिन इसी दौरान श्रीमति प्रेमवति पाण्डे की मृत्यु हो गई। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट शांतिपूर्वक तथा बिना किसी बाधा के काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी की अधीनस्थ न्यायालय में तलबी करवाई गई मगर उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया था उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुंत न्यायिक दृष्टान्तों को अनदेखा किया गया है। अपीलाण्ट 30 वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के प्रतिकूल कब्जा की घोषणा को नहीं माना है जबकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 63 (4) में यह स्पष्ट वर्णित है कि प्रतिववादीगण के पास इकरानामा की दिनांक से कब्जा नहीं है तो वह बाद में उसका कब्जा फिर से प्राप्त करने की सीमा से बाहर हो जाता है। अपीलाण्ट 30 वर्षों से काबिज चला आ रहा है। अपीलाण्ट का प्रतिकूल कब्जा की धारणा को साबित है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2021/82 कुमानमल व अन्य बनाम भूरू में पारित निर्णय दिनांक 18.12.1994 व जगदीश आदि बनाम सीताराम आदि रैफरेन्स नं0 2964/97 निर्णय दिनांक 03.02.2011 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. रेस्पोडेण्ट सं0 9 की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 9 के राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने इकरारनामा के द्वारा प्रतिविादी संख्या 1 की माता द्वारा चक 4 टी. एल.डब्ल्यू की प्रश्नगगत किला नं. 14 व 15 की भूमि का बैयनामा वादीगण के पिता को करना बताया है और इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। इकरारनामा की वैद्यता सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है यह बिन्दू राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट ने प्रतिकूल धारण परिपक्व होने के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करने की [illegible] मांगी है। अपीलाण्ट ने प्रतिकूल धारण परिपक्व होने के [illegible] प्रस्तुंत नहीं किया है। केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वादपत्र में कथन करने मात्र से प्रतिकूल कब्जा सिद्ध नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण सिविल नेचर का होने से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने के आधार पर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधि अनियमिता नहीं है तथा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य हे।

7. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.3.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/22

(करतार सिह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:02:22 IST
Reason: SelfAttested